आज देश के हर स्थानों में नई कक्षा में प्रवेश लेने के लिये छात्रों, अभिभावकों को अवर्णनीय परेशानी उठानी पड़ रही है। स्कूलों में अधिकारियों की कृपा दृष्टि के लिये छात्र व अभिभावक कतारबद्ध खड़े हैं ।

मान्यवर, अभी तक मेडीकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज में ही प्रवेश के लिये डोनेशन की परिपाटी थी। अब अन्य स्कूलों में डोनेशन का रिवाज खुलेआम प्रचलन में आ गया है । स्कूल कालेज से संबंधित अधिकारी अनेक मतों में मनमाना डोनेशन इकट्टा कर रहे हैं । दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, वाराणसी, लखनऊ आदि में क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा कुछ विद्यालय महाविद्यालय चलाये जा रहे हैं। इस में प्रवेश पाना खुदा के घर प्रवेश पाना हो गया है। ये स्कूल साधारण छात्रों से उतनी ही घृणा करते हैं जितना आजादी के पूर्व गोरे लोग अपने क्लबों में भारतीयों से नफरत करते थे । विधायक, सांसद ही नहीं बल्कि मंत्री तथा शिक्षा मंत्री की भी उपेक्षा की जाती है । दिल्ली का सैंट कोलम्बस, बम्बई का जान्सन वाराणसी का सेंट जान्स और इसी संस्था के अन्य स्कूल इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

सरकार की ओर से चलने वाले केन्द्रीय विद्यालय संगठन भी इससे कम नहीं हैं। इनमें बिना मंत्री के निर्देश पर प्रवेश मिल पाना अत्यंत कठिन है । केन्द्रीय विद्यालय संगठन में प्रवेश के लिये एक संसद सदस्य को एक छात्र का कोटा भी शायद दिया गया है। यह बड़ी ही भयंकर स्थिति है ।

: न सभी विद्यालयों में प्रथम श्रेणी एवं उच्च प्रथम श्रेणी के छात्रों को प्रवेश की शर्तें हैं। फिर भी उस विद्यालय में छात्र प्रथम में न पास होकर तृतीय श्रेणी में पास होता है। ऐसा लगता है कि इन विद्यालयों की अपनी कोई भी उपयोगिता या विशेषता नहीं है कि तृतीय श्रेणी के लड़के को लेकर प्रथम श्रेणी का बनाया जा सके। तीसरी श्रेणी के बच्चे कहां पढ़ेंगे और यह श्रेणी क्यों बनाई गई है, यह एक प्रश्न है ?

मान्यवर, जीवन में शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका है। देश के हर नागरिक को शिक्षा का अधिकार है। यदि इस भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं किया गया तो मुल्क में उच्च और माध्यम स्तर की शिक्षा ही नहीं बल्कि आरंभिक शिक्षा भी खतरे में है।

अतः शिक्षा मंत्री जी को इस पर तुरन्त ध्यान देना चाहिए ।

(x) Enhanced rates of electricity, irrigation charges etc. by certain States and need for intervention by Central Government

SHRI RAJESH PILOT (Bharatpur): Under Rule 377, I make the followign statement :

Central Government has assured the House that all efforts will be made to help the poor farmers of the country and Government would also ask the State Governments to take proper steps to give them more facilities in terms of irrigation/fertilizers and other ways. But surprisingly some of the State Governments have taken decisions to enhance the rate of irrigation facility/electric/revenue rates. I would request the Central Government to intervene immediately and take proper action to help the farmers from going poor to poorer.

16.30 hrs.

NATIONAL OILSEEDS AND VEGETABLE OILS DEVELOPMENT BOARD BILL AND VEGETABLE OILS CESS BILL

MR. CHAIRMAN : Now the House will take up National Oilseeds and Vege-

[Mr. Chairman]

table Oils development bill together with Vegetable Oils Cess Bill. Shri Sudhir Giri has to continue his speech. He has already taken 16 minutes as the record shows. Shri Sudhir Giri.

SHRI SUDHIR GIRI (Contai) : Mr Chairman, Sir, I am continuing with what I have said yesterday. I was speaking about the refining measure of the rapeseed oil. Crude rapeseed oil is imported in our country and it is refined here We have seen that the quantum allotted for the Eastern sector of the country is refined elsewhere. Such crude rapseed oil is not refined at any place in the Eastern zone. This creates hardship not only to the consumers but also to the oil processing mills. The oil processing mills employ workers. When they do not find the crude oil for the processing, then the workers agitate and this creates a labour trouble in the mills. So, I do hope from the Government that the allotted rapseed oil meant for the Eastern zone should be refined at any place in Eastern region.

One thing more I would like to point out in this connection. The rapeseed oil imported in our country is supplied to the bulk consumers. The bulk consumers after using some quantity, hoard it up and they create artificial scarcity in the market. This pushes up the price of the edible oil. I would, therefore, request the Government to take note of this fact also and take suitable measures so that the edible oil traders cannot blackmarket and earn huge profit out of this. In order to check this method or process, the Government should make arrangements for the public distribution system organised all over the country, we cannot tackle this problem and the Government is also not in a position to tackle the problem.

Regarding the National Oilseeds and Vegetable Oils Development Board Bill, 1983, I would request the Minister to look at sub-clause (7) of clause 4 of the Bill. It reads :

> "The Board may associate with itself in such manner, subject to such conditions and for such purposes as may be prescribed, any person whose assistance or advice it may desire in complying with any of the provisions of this Act...."

I would urge upon the Government to see that these provisions do not give any opportunity to the politically discredited persons to take advantage of it because our experience shows that politically discredited persons or politically patronised persons adorn this Board. So, I would urge upon the Government to look into these things.

As regards the Vegetable Oils Cess Bill, I may point out that the imposition of cess at the rate of Re. one per quintal at present would perhaps go up to the extent of Rs. 5/-per quintal in future. This imposition of cess will definitely contribute to the price-hike of edible oils. The manufacturers of Vanaspati and some other edible oils have already earned a huge profit because of such price like. Why does not the Government go to tax these profits because the consumers are also going to be taxed ? I object to this not only on this ground but on the ground that the proceeds earned from the collection of cess are being spent in the form of administrative expenses. If the proceeds were to be spent for the production of oilseeds and vegetable oil, I would not have objected. So, I would request the Government and the hon. Minister to take steps to see that the cess collected in this way should be spent or increasing the production and productivity of oilseeds and vegetable oils and that a part of it should also be spent for the benefit of workers who are cultivating oilseeds.

The object of the National Oilseeds and Vegetable Oils Development Board Bill and the Vegetable Oil Cess Bill is to increase production and productivity of oilseeds and vegetable oil. This move on the part of the Government is welcome, though belated. I have already said that this move should have been taken much earlier because we had to resort to spending foreign exchange to the extent of Rs. 700 crores per annum for importing

edible oil and, if we had taken this measure earlier, we would not have resorted to spending such a large amount of foreign exchange on the import of edible oil.

RAO BIRENDRA SINGH : Better late than never.

SHRI SUDHIR GIRI : I welcome the Bill. Here, I would like to point out that by merely constituting a Board, the problem will not be solved. For the purpose of solving this problem , some concrete measures must be taken. I would propose to suggest some concrete measures in this direction.

Firstly, drastic land reforms should be made. Without drastic land reforms, the production cannot be increased in the country. Very big chunks of land are concentrated in a few hands in the country. If we do not take away land from them and distribute it among the landless people and those who are interested in cultivating land, the production cannot really increase.

Secondly, substantial financial aid should be made available to the States. It is the States which are responsible for the production of oilseeds and vegetable oil. We are all aware of the fact that the States' resources are very limited. If the Centre cannot make available financial aid to the States, the States will not be able to increase the production. So, I would urge upon the Government to make substantial financial aid available to the States.

Thirdly, the prices of inputs which are used in producing oilseeds and vegetable oil must be lowered because the farmers are not in a position to use manures or fertilisers. If the prices of inputs are lowered, then they will be in a position to use manures or fertilisers. I would urge upon the Government to take this step also.

Fourthly, many cultivators in the rural areas are not aware at all of the modern technology. Education must be imparted to them. Proper steps must be taken by the Government to educate the rural people in adopting modern technology.

Fifthly, encouragement should be given to cooperatives because in the matter of production, storage, marketing, distribution and oil processing, the cooperatives would be of much help to the nation. These cooperatives could enable the States to produce more oilseeds and vegetable oil. So, I would urge upon the Government to encourage the cooperatives.

My next suggestion is that a comprehensive master plan all over the country should be made because without such a master plan, growth in respect of oil seeds and vegetable oils cannot be obtained.

My last point is that peoples' involvement is necessary. Without involvement, the bureaucrats cannot produce in the field. I would urge upon the Government to go to the people and they must be in constant touch with the peoples' organisation. If they are in touch with the peoples' organisation, that is, the cultivators and their organisations, then they will be in a position to produce more in the field. Peoples' involvement in producing oilseeds and vegetable oils must be realised because it is the people who consume and it is the people who produce and the middlemen enjoy some fruits. I urge upon the Government to involve the people to the maximum extent.

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : ये जो नेशनल आयलसीड्स एंड वैजीटेबल श्रायल्ज डिवेलपमेंट बोर्ड बिल और वैजीटेबल श्रायल्ज सैस बिल रखे गए हैं इनका मैं समर्थन करता हूं। हिन्दुस्तान में दस प्रतिशत जमीन ऐसी है जिसमें श्रायल सीड्ज बोए जाते हैं। इनका प्रोडक्शन हमारे मुल्क में बहुत कम है। मंत्री महोदय ने बताया है कि हम सब से कम प्रोड्यूस करते हैं दूसरे देशों के मुकाबले में। जितनी

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

भी जमीन में हम आयल सीड प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसके बारे में निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा उस में इनका प्रोडक्शन हो सके। यह भी मंत्री महोदय ने बताया है कि इस में से आठ प्रतिशत ही ऐसी भूमि है जिस में इरिगेशन की व्यवस्था है और बाकी 92 प्रतिशत भूमि में कोई इरिगेशन नहीं होती है। ऐसी हालत में आयल सीड्ज का हमारा प्रोडक्शन कैसे बढ़ सकता है, यह सोचने की बात है। आयल सीड्ज की हमारे हमारे देश में बहुत बड़ी कमी है हमें छः सात सौ करोड रुपया फारेन एक्सचेंज में खर्च करके तेल बाहर से मंगाने पड़ते हैं। मैं समझता हूं कि यह पैसा डिवेलेपमेंट पर खर्च करके ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन के सोर्सिस पैदा करके आयल सीड्ज के उत्पादन को बढ़ाने की तरफ हम को ध्यान देना चाहिए ताकि हम इस मामले में आत्म निर्भर बन सकें। यह नितान्त आवश्यक है इस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

जितने आयल सीड हमारे देश में पहले पैदा होते थे उतने अब नहीं होते हैं, इनकी प्रोडक्शन में कमी आ गई है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे यहां तिलहन बहुत ज्यादा पैदा होती थी, तिलहन की खेती बहुत होती थी और आज वहां तिलहन पैदा नहीं होती है। लोग कैश क्राप, कपास आदि पैदा करने लग गए हैं, दूसरी तरह की क्राप्स मिर्ची आदि पैदा करने लग गए हैं। इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है।

आयल सीड जो हम लोगों को खाने को देते हैं सब से कम मिकदार में कैलारीज हमारे देश के लोगों को मिलती है। दूसर मुल्कों में कहीं 26 किलो बहुत डिवेलेप्ड देशों में प्रति व्यक्ति मिलता है और जो अर्धविकसित देश हैं उन में ग्यारह किलो मिलता है जबकि हमारे देश में छः किलो प्रति व्यक्ति तेल खाने को मिलता है। इस कारण लोगों के स्वास्थ्य पर किस प्रकार का असर पड़ता होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। आप ऐसी व्यवस्था करें कि जिन चीजों का हमारे देश के लोगों के स्वास्थ्य पर हितकर असर पड़ता हो उनका प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो और लोगों को उपलब्ध करायें। मंत्री महोदय ने इस ओर ध्यान दिया है जिस के लिए वह बधाई के पात्र हैं।

बोर्ड के सम्बंध में उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं की हैं। सैस से छः करोड़ रुपया वह इकट्ठा करेंगे। इतनी सी राशि से आयल सीड्ज की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। इसमें तो बहुत बड़े पैमाने पर काम करना पड़ेगा तब जा कर प्रोडक्शन बढ़ेगा। 6 करोड़ रुपया प्रदेशों में बांट कर किस तरह से आयल सीड्ज का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं? छठी योजना में इस काम के लिए 65 करोड़ रु० रखा गया था, आवश्यकता है कि इसके लिये और ज्यादा पैसे का प्रावधान किया जाय। छठी पंचवर्षीय योजना का रिव्यू होगा इसलिए मंत्री जी को इसके लिये ज्यादा पैसा लेना चाहिए ताकि आयल सीड्ज का डेवलपमेंट और प्रोडक्शन अच्छी तरह से हम कर सकें। मैं समझता हूं मंत्री जी इस विषय में दिलचस्पी रखते हैं और रिव्यू के समय पैसे में बढ़ोतरी कराने के लिये अवश्य कार्यवाही करेंगे।

व्यापार के बारे में अभी हमारे कामरेड भाई ने कहा जितना भी प्रोडक्शन होता है

वह मारकेट में आता है, अतः तेल निकालने की जो व्यवस्था है उस सब का रेगूलेट करने की आवश्यकता है आज सब कारखानों में जो कि प्राइवेट सैक्टर में हैं, मिलावट होती है और इस प्रकार लोगों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसको सख्ती से रोकना चाहिए। यह तभी रोक सकते हैं जब आल सीड्ज के कारखाने कोआपरेटिव और पब्लिक सैक्टर में हों।

प्राइवेट सैक्टर के हर कारखाने में मिलावट हो रही है, यहां तक कि रंग देने के लिए भी मिलावट करते हैं। आपने कानून बना रखा है मिलावट रोकने के लिये, लेकिन उसका कितना असर होता है यह आप स्वयं जानते हैं। जो मिल मालिक करोड़ों रु० नाजायज तरीके से कमाते हैं मिलावट करके उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। जो करोड़ों रुपया मिलावट करके लोग कमा चुके हैं इसको रोकना चाहिए ताकि लोगों को खाने पीने का सामान सस्ता और साफ मिल सके। अन्यथा लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा। मेरी तो राय यह है कि मिलावट करने वालों को फांसी की सजा होनी चाहिए अगर आप आयल सीड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी मारकेटिंग के सम्बंध में तथा तेल निकालने के संबंध में आपको रेगूलेट करना पड़ेगा जिससे लोगों को अच्छा सामान उपलब्ध हो सके।

अंग्रेजों के समय में हम लोग बाहर से तेल नहीं मंगाते थे, मगर आज धीरे-धीरे लोगों ने खेती का पैटर्न बदल दिया जिसकी वजह से आयल सीड्स प्रोडक्शन में कमी आ गई है। अतः उस कमी को दूर करना चाहिए और यह तभी संभव है जब काश्तकार को इंसेंटिव दिया जाएगा, आपको उनको इमपुट्स सस्ते देने पड़ेंगे।

अभी हमारे श्री राजेश पाइलट ने नियम 377 का उल्लेख करते हुए यह बात कही है कि काश्तकारों की इलैक्ट्रीसिटी के दाम बढ़ाये जा रहे हैं, जमीन का लगान बढ़ाया जा रहा है, सिंचाई की दरें बढ़ायी जा रही हैं। इस तरह की दरें निश्चित तरीके से नहीं बढ़नी चाहियें। अगर आप काश्तकार को इंसैंटिव देना चाहते हैं तो इस प्रकार के इम्पुट्स फार्मर को मिलने चाहियें जिससे वे ज्यादा आयल सीड्ज पैदा कर सकें, उनका उत्पादन बढ़ा सकें और इनकी कमी को पूरा कर सकें। यह व्यवस्था आवश्यक है और इसको पूरा किया जाना चाहिए।

16.50 hrs.

STATEMENT RE. VISIT OF FOREIGN MINISTER OF INDIA TO SRI LANKA

THE PRIME MINISTER (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : I am sorry to interrupt the hon. Member. But I have a very brief statement to make.

Yesterday there was a long discussion here on the situation in Sri Lanka and just now the discussion in the Rajya Sabha has finished. In fact, as the Foreign Minister was replying to the discussion, I was on the telephone with the President of Sri Lanka, expressing the grave concern on behalf of the Members of Parliament and the people generally all over India, and especially the people of Tamilnadu and the South.

I suggested to the President that our Foreign Minister might go to Colombo to meet him. I am glad to say that he has agreed to this proposal. The Foreign Minister will leave this evening.

I also mentioned that we had heard of the shortage of essential supplies in the refugee camps and suggested that either we could approach the International Red

[Shrimati Indira Gandhi]

Cross which gives very effective assistance in such situations. We would also be willing to help through our own or other voluntary agencies. In reply to that, the President said, 'Let your Foreign Minister come and see things for himself and I will discuss with him.'

I thought I should let the House know.

NATIONAL OILSEEDS AND VEGETABLE OILS DEVELOPMENT BOARD BILL

AND

VEGETABLE OILS CESS BILL—*Contd.*

सभापति महोदय : श्री गिरधारी लाल व्यास अपनी बात पूरी करें ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह तो खत्म करके बैठ गये थे, फिर आपने उन्हें शुरू करवा दिया ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अच्छा मजाक कर रहे हैं ।

सभापति महोदय : व्यास जी आप वाइंड-अप करें ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं निवेदन कर रहा था कि जब तक यह इम्पुट्स काश्तकारों को सस्ते भाव पर उपलब्ध नहीं करायेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता । बड़े बड़े बोर्ड बनाना, बड़े-बड़े अधिकारियों, ब्यूरोक्रेट्स की लम्बी चौड़ी फौज कायम करना कोई मायने नहीं रखता ।

हार्वेस्ट के टाइम पर चीजें सस्ती हो जाती हैं और उसके बाद किसान के हाथ से जब चीजें निकल जाती हैं और व्यापारियों के पास चली जाती हैं तो वह बहुत मंहगी हो जाती हैं । वह लोग मनमाने तरीके से पैसे वसूल करते हैं और लोगों को सामान मंहगा मिलता है । इसके साथ सट्टे भी चलते है एक-एक साल पहले सट्टा लगा दिया जाता है कि किस भाव पर तिलहन को खरीदा जाएगा । इस प्रकार की व्यवस्था को रोकना चाहिए । यह लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है । इसको अगर हम नहीं रोकेंगे तो तेल और मंहगे भाव पर लोगों को मिलेंगे, वह कभी सस्ते नहीं हो पायेंगे । इन स्पेकुलेटिव व्यवस्थाओं को रोकने की आवश्यकता है । जैसे सरकार गेहूं खरीदती है, तिलहन भी वह खरीदे । आप व्यापारियों के जरिए क्यों तिलहन खरीदना चाहते हैं ? जब 600,700 करोड़ रुपये सरकार को तिलहन के लिये खर्च करने पड़ते हैं तो इस ट्रेड को सरकार हाथ में लेकर क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था करना चाहती जिससे सस्ते भाव पर लोगों को तिलहन मिल सके ?

अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि टैक्नीकल एजूकेशन भी दी जानी चाहिए । मेरा कहना कि काश्तकारों को इस बात की जानकारी दीजिए कि कौनसे इलाके में कौनसी चीजें पैदा हो सकती हैं । अगर काश्तकारों को यह शिक्षा नहीं दी जाएगी कि रेत की जमीन में, काली मिट्टी में या लाल मिट्टी में कौनसा तिलहन ज्यादा पैदा हो सकता है, तो वे लोग अपनी मर्जी से तिलहन बो देंगें, जिससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा । इस लिए काश्तकारों को यह शिक्षा देना नितांत आवश्यक है कि कौन से क्षेत्र में कौन सी चीज बोने से उत्पादन ज्यादा होगा और देश को ज्यादा लाभ होगा ।

इस कानून के साथ ही एक सेस का कानून भी लाया गया है । हमारे यहां खास तौर से माइका, सोप-स्टोन और आयरन और आदि खानों के प्रोडक्शन पर जितने

सेस लगे हैं, वे सारे मजदूरों की भलाई के कामों, उनके विकास, रिक्रीएशन, एजूकेशन और उनके लिए मकान बनाने पर खर्च किए जाते है । इस कानून के द्वारा जो सेस लगाया जा रहा है, वह भी किसानों और एग्रीकल्चरल लेबरर्ज की सहूलियतों, विकास रीक्रीएशन और शिक्षा पर लगना चाहिए । लेकिन इस सेस का सारा पैसा डेवेलपमेंट बोर्ड को दिया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत एक्सीक्यूटिव डायरेक्टर पांच हजार रुपया महीना लेगा, सेक्रेटरी और न जाने कितने अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे और इस तरह सेस की सारी रकम सरकारी अधिकारियों में बंट जाएगी और किसानों को सहूलियत देने के लिए एक पाई भी नहीं बचेगी। इन सफेद हाथियों के लिये ही ये बोर्ड बनाए जाते हैं । बड़े-बड़े आई०ए०एस० अधिकारी इस तरह के बोर्ड दनादन बनाते जा रहे हैं, जिससे उनके भाई-बंधुओं को काम-काज मिल जाए ।

जहां तक इस बोर्ड के गठन का सम्बंध है, फार्मर्ज के प्रतिनिधि केवल तीन होंगे, जबकि व्यापारियों के प्रतिनिधि कम से कम दस बारह होंगे और सरकारी अधिकारियों की तो एक लम्बी-चौड़ी फौज होगी । सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी अपना अपना वेस्टिड इन्ट्रेस्ट ले कर वहां बैठ जाएंगे । मैनेजिंग कमेटी में भी सब सरकारी अधिकारी हैं । उसमें फार्मर्ज का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा सभापति महोदय, आप स्वयं काश्तकार हैं । आप अच्छी तरह जानते हैं कि वे लोग काश्तकारों की भलाई किस तरह करेंगे । मिनिस्टर इसके चेयरमैन होंगे । मिनिस्टर को तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं होती है, वह कैसे बोर्ड में बैठेगा कैसे उसके काम का निरीक्षण करेगा ? सेक्रेटरी वाइस-चेयरमैन बनाया गया है । जब मिनिस्टर चेयरमैन है और सेक्रेटरी वाइस-चेयरमैन, तो डिपार्टमेंट तो वैसे ही काम कर रहा है, इस बोर्ड की क्या आवश्यकता है, जिसमें दस बारह करोड़ रुपए सरकारी अधिकारियों की तन्ख्वाहों पर खर्च कर दिए जाएंगे । अगर इस सेस से काश्तकारों को लाभ होता है और इसमें काश्तकारों के प्रतिनिधि रखे जाते है, उसके द्वारा काश्तकारों का विकास होता है, तब तो हम कह सकते है कि मंत्री महोदय ऐसा कानून लाए हैं, जिससे देश और काश्तकारों को लाभ होगा । लेकिन इससे तो केवल सरकारी अधिकारियों को लाभ मिलेगा । वे तीन चार हजार रुपए तन्ख्वाह प्राप्त कर के एयरकंडीशन में बैठेंगे और यह देखने के लिए दुनिया की सैर करेंगे कि किस-किस देश में कैसे आयल-सीड्स पैदा होते हैं । दस-बारह साल तो स्कीम बनाने में लग जाएंगे, पैदावार पता नहीं, कब बढ़ेगी ?

17 hrs.

इस लिए, सभापति महोदय, आप के जरिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं— वह भी एक काश्तकार है काश्तकारों के प्रतिनिधि हैं, आप इस कानून को बिना सोचे-समझे लेकर आ गये हैं । मुझे इस में कोई तथ्य नजर नहीं आता । यह कानून किसी तरह से भी आयल-सीड का प्रोडक्शन बढ़ाने में सहयोग देगा, मुझे ऐसा दिखलाई नहीं देता है तथा जो पैसा आप के पास सेस लगाने से आयेगा उस से आयल-सीड की प्रोडक्शन बढ़ने वाली नहीं है । इस से हमारे देश का जो फौरन-एक्सचेन्ज खर्च होता है वह कम होने वाला नहीं है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : आप ने समर्थन से शुरू किया विरोध पर आ गये ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं— या तो आप इस को ऐसा बनायें जिस में फार्मर्स के रिप्रेजेन्टेटिव ज्यादा हों, ऐसे लोग ज्यादा हों, जो फार्मर्स के विकास के सम्बंध में ज्यादा से ज्यादा काम करें, उसका विकास करने में योगदान करें। आप ने पार्लियामेंट के तीन सदस्य इस में रखे है, लेकिन वाइस-चेअरमैन सैक्रेटरी होगा, यानी ये पार्लियामेंट के सदस्य उसके नीचे बैठेंगे — यह बिल्कुल अनुचित बात है, यह प्रोटोकोल के खिलाफ है। मैनेजिंग कमेटी में सेक्रेटरी को आप ने चेयरमैन बना दिया है, उस में किसी भी फार्मर्स के प्रतितिधि को नहीं बैठाया है। मैनेजिंग कमेटी जो चाहेगी करेगी, उसमें ऐसा कोई प्रतिनिधि नहीं है जो फार्मर्स के इन्टरेस्ट को देख सके और उन की व्यवस्था को माकूल बना सके। मैं इस कानून के खिलाफ नहीं हूं लेकिन ऐसा कानून बनाइए जिस से लोगों का फायदा हो, जिस से आयल-सीड की प्रोडक्शन बढ़े, लोगों को तेल उपलब्ध हो सके।

आज स्थिति यह है कि आप 700 करोड़ रुपये का फारन एक्सचेन्ज खर्च करते हैं लेकिन गांवों में एक बूंद भी तेल नहीं मिलता है, पता नहीं वह 700 करोड़ रुपया

17.02 hrs.

(Mr. Deputy Speaker in the chair)

कहां चला जाता है, किन-किन लोगों के पास पहुंचता है ? मैं अपने क्षेत्र के बारे में कह सकता हूं — मेरे यहां किसी भी गांव में किसी भी कोआपरेटिव सोसाइटी को रेपसीड आयल लोगों में वितरित करने के लिये नहीं दिया जाता है। इस लिए ऐसी व्यवस्था कीजिए जिस से आम गरीब आदमी भी नितान्त आवश्यक तरीके से यह मिल सके।

RAO BIRENDER SINGH : Distribution does not come under this Bill.

श्री गिरधारी लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जैसा मंत्री जी कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा ताल्लुक नहीं है, हम मानते हैं, लेकिन पैदावार तो आप करते हैं। गेहूं की पैदा आप करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन आपके साथ में नहीं है, लेकिन गेहूं लोगों को सब तरफ मिल रहा है। जब आयल सीड बाहर से मंगाते हैं तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक से होना चाहिये, वह भी गरीबों को मिलना चाहिए। अब यह आप के सोचने और समझने की बात है कि आप इस के डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे ठीक कर पायेंगे।

आप इस समय दो तरह के टैक्स लगाने जा रहे हैं — पहला तो सैक्शन 3 (ए) में सेस लगाने की बात है —

> "3 (1) There shall be levied and collected by way of cess the purposes of the National Oilseeds and Vegetable Oils Development Board Act, 1983, a duty of excise on vegetablie oils produced in any mill in India at such rate not exceeding five rupees per quintal of vegetable oil, as the Central Goverment may, from time to time, specify by notification in the Official Gazette : " The second is :

> " (2) The duty of excise levied under sub-section (1) shall be addition to the duty of excise leviable on vegetable oils under the Central Excises and Salt Act, 1944, or any other law for the time being in force. "

इस प्रकार आपने एक तो यह सेस लगा दिया और 5 परसेन्ट तक यह सेस लगा देंगे और इसके अलावा दूसरे पुराने कानून में । परसेन्ट सेस आप लगा रहे हैं । ये दोनों सेस किस प्रकार से लगेंगे और इन दोनों सेसों को आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे । कहां पर से यह पैसा आएगा और किस के फायदे के लिये यह पैसा आएगा और किस प्रकार से इन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस की कोई व्यवस्था नहीं है ।

इस के अलावा, मैं यह कहना चाहता हूं कि स्टेट्स में किसी प्रकार की आपने कोई व्यवस्था नहीं की है कि इस काम को करने के लिये कौन सी एजेंसी होगी । आप के बोर्ड का वहां पर कोई यूनिट रहेगा या आपका कोई अधिकारी वहां पर रहेगा, जो इस की व्यवस्था माकूल तरीके से कर सके, इस के बारे में आपने कोई प्रावधान नहीं किया है । इस सम्बध में कोई व्यवस्था निश्चित तरीके से आपको करनी चाहिए । इसलिए यह जो बिल आप लाए हैं, अधूरे मन से लाए हैं ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : इतना समय इन्होंने ले लिया है और इस बिल का समय बहुत कम बाकी रह गया है । अब हम लोगों को इन के बारे में बोल लेने दीजिए ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आप के सामने रिकार्ड पड़ा हुआ है, आप उस को देख लीजिए कि अपोजीशन वालों ने कितना समय लिया है और मैंने कितना समय लिया है । ये गलत कहते हैं । विरोधी दल वाले यह नहीं चाहते कि हम लोग बोलें । मैंने तो अभी बहुत थोड़ा समय ही लिया है ।

उपाध्यक्ष से महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे इस बिल पर दोबारा गौर करें और दोबारा गौर करके काश्तकारों के हित में जितना अच्छा कानून ला सकें, जितने अच्छे सेक्शन्स कानून में ला सकें, लाएं क्योंकि ऐसा करना नितान्त आवश्यक है । इस के लिए ज्यादा फंड दिलाने की व्यवस्था होनी चाहिए और स्टेट में कोई एजेन्सी कायम करने की व्यवस्था आप कीजिए और स्टेटवाइज और जोनवाइज किन-किन बीजों की वहां के लोगों को सप्लाई करने की आवश्यकता है, इस सब की व्यवस्था आप कीजिए ।

मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि ज्वार का ऐसा बीज हमारे यहां आया, जिस से ज्वार पैदा ही नहीं हुई । इस प्रकार के बीज अगर भेजे जाएगें, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी और काश्तकार बरबाद हो जाएगा । इसलिए मैं आप से कहना चाहता हूं कि ज्वार का ऐसा बीज हमारे यहां दिया गया, जिस से 50 पर सेन्ट ज्वार भी पैदा नहीं हुई । मेरा कहना यह है कि ऐसा खराब बीज नहीं देना चाहिए । आप अच्छे प्रकार का बीज दिलाने की व्यवस्था कीजिए ताकि प्रोडक्शन बढ़े और देश की तरक्की हो ।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने आज जो यह राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड विधेयक आया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है । मंत्री जी ने इस पर ध्यान दिया और इन्होंने देश की एक ज्वलन्त समस्या को इस पालियामेंट में विधेयक के माध्यम से रखा, इस के लिये हम इन को बधाई देते हैं ।

[श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री]

मान्यवर, इस मुल्क में आज खाद्य तेलों का अभाव निरन्तर बढ़ता जा रहा है यह जानकर हमें बड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि 1940 में हमारा देश खाद्य तिलहनों के मामले में बिल्कुल आत्मनिर्भर था और हमारे देश को बाहर से तेल मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी बल्कि हम अपने तिलहनों को बाहर भेजते थे और इस से काफी पैसा लेते थे। 1940 के पहले जो स्थिति थी, आज उसका उल्टा हो गया है। अब हम 700, 800 करोड़ रुपये का तेल प्रति वर्ष बाहर से मंगा रहे हैं। इस से तमाम अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। देश का कोई भी ऐसा चूल्हा नहीं है चाहे वह गरीब का हो या अमीर का हो, जहां पर तेल का प्रयोग न किया जाता हो और ऐसी स्थिति में खाद्य तेल की अव्यवस्था बहुत ही दुखदायी है। आप इस विधेयक के माध्यम से एक बोर्ड बना रहे हैं। हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि इस बोर्ड से कितना हमें लाभ होगा और कितनी हमारी समस्या खत्म होगी। हमने इस बिल को देखा है। हम इस बिल पर बाद में आते हैं।

मान्यवर, हम यह देख रहे हैं। निरन्तर पांच साल के आंकड़े यह बताते हैं कि हम तीन सालों से ज्यादा से ज्यादा तेल का आयात कर रहे हैं। 1980 के बाद से खाद्य तेलों के वितरण में, इनके मूल्य की वृद्धि में बहुत अजीब-अजीब नाटक हुए हैं। रिफाइन्ड तेल, विभिन्न ब्रांडों के खाद्य तेल, तेलों के सरकारी वितरण के कार्यक्रम बनाए गये और जिनके माध्यम से देश में खाद्य तेलों में भ्रष्टाचार का बाजार काफी गर्म रहा। लोगों ने बहुत ही मुनाफाखोरी की। इसके बावजूद भी कि इतना तेल हम बाहर से मंगाते हैं फिर भी देश के किसी किसी कोने में तेल मिलता ही नहीं, वहां जाता ही नहीं। कहीं-कहीं भारी आभाव बना रहता है।

आयल टेक्नोलोजी एसोसिएशन आफ इंडिया की 1982 में एक रिपोर्ट आई थी। और उसमें कहा गया था कि हमारे मुल्क में साढ़े पांच मिलियन टन तेल की मांग है। दुर्भाग्यवश हमारे मुल्क में उसकी पूर्ति 32 मीलियन टन की है। कमजोर वर्गों को राहत देने के लिए सात-आठ सौ करोड़ रुपये का जो तेल बाहर से आता है, उस तेल का बाजार में वितरण गलत ढंग से हो रहा है। एजेंसियों के माध्यम से जो वितरण हो रहा है यह भी एक धांधली का घर है। सरकारी वितरण प्रणाली में हमेशा खाद्य तेलों का अभाव रहता है। सब से ज्यादा मजेदार बात यह है कि दिल्ली के बाजार में, या देश के जो और भी बाजार हैं उनमें रिफाइन्ड तेल और दूसरे ब्रांडों के खाद्य तेल तो आसानी से किन्तु बड़े बड़े मूल्यों पर मिल जाते हैं लेकिन शुद्ध सरसों का तेल बाहर से मंगाने के बाद भी बाजार में नदारद रहता है। समझ में नहीं आता ऐसा क्यों है? अगर आप इस स्थिति पर कंट्रोल करना चाहते हैं तो यह बात स्वागतयोग्य है। लेकिन जहां तक सन् 1980 के बाद के अनुभव हैं, उनसे यह प्रतीत होता है कि इनमें घपलेबाजी को रोकने में सरकार असमर्थ है।

1982 में एक चीज और देखने को मिली। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों का मूल्य बहुत ही नीचे गिर गया था लेकिन हमारे देश में जो आयातित तेल आया, उसमें 1300 रुपये प्रति टन की वृद्धि की गई यानि साढ़े बारह परसेंट की मूल्य में वृद्धि की गई। 1977 तक देश में खाद्य तेलों का आभाव नहीं था। जब अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट में मांग घटी तो हमारे यहां बाजार यकायक बढ़ गया। ऐसा लगता है कि उच्च स्तर पर खाद्य तेलों में भ्रष्टाचार हो रहा है। 1979

तक स्थिति पर कुछ नियंत्रण था लेकिन 1980-81 में वनस्पति तेलों का उत्पादन पौने नौ लाख टन बढ़ा उसके बाद भी वनस्पति के दाम निरन्तर बढ़ते गये। क्यों—क्या इसका उत्तर किसी के पास है ?

हम आपके इस बिल का स्वागत करते हैं। आप बोर्ड बनाइये । यह अच्छी बात है। लेकिन हमें शक है कि इस प्रकार का बोर्ड बना कर नियंत्रण करने की बात जो आप कर रहे हैं और खाद्य तेलों को घरों में सुलभ कराने की बात कर रहे है, क्या यह संभव होगा। मान्यवर, तेलों का कम उत्पादन इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है।

मान्यवर, मैं इस विषय पर मंत्री जी का ध्यान ले जाऊंगा कि बोर्ड बनाने से बेहतर यह है कि खाद्य तेलों के उत्पादन और वितरण में जो कमियां है उनको देखा जाए और उन पर विचार किया जाए। उसके बारे में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की ओर से कार्यवाही की जाए। जैसे हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं, बिहार के कुछ स्थानों में देखते है प्रायः तिलहन की जो फसल होती है वह मिक्स्ड फसलों में है। गेहूं, मटर, जौ, चना बोया जाता है। इसमें देश का 25 परसेंट तिलहन डबल क्राप के रूप में बोया जाता है। हमारे यहां चित्रा नक्षत्र में प्रायः तिलहन बोया जाता है और उसकी पैदावार बहुत सुन्दर और अधिक होती है तथा तेल भी अच्छा देती है। आपने बाकी फसलों के लिए तो लेट और अरली वैरायटीज तैयार कर ली है लेकिन इस क्षेत्र में तिलहन के लिए कोई काम नहीं हुआ है। अगर लेट वैरायटी की गेहूं में तिलहन बोते है तो उसमें कीड़ा लग जाएगा। कृषि मंत्रालय के अनुसंधान के मुताबिक 25 प्रतिशत फसल कीड़ों की वजह से नष्ट हो जाती है। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

सिंचाई के बारे में भी बड़ी दयनीय दशा है। एक रिपोर्ट के अनुसार केवल 9 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है, बाकी 91 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हैं। बोर्ड को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। हमारी आधी फसल से अधिक फसल कीडों और रोगों से नष्ट हो जाती है अगर इस ओर ध्यान दिया गया होता तो आज इस सिलसिले में इतनी बड़ी चिंता न पैदा होती। मूंगफली और सरसों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इसके बारे में कृषि मंत्रालय ने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट प्रकाशित की है। लेकिन इस पर भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया।

अब मैं इस विधेयक के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस विधेयक के धारा 4 में बताया गया है कि इस बोर्ड की स्थापना में तीन संसद सदस्य होंगे। इसमें दो लोक सभा और एक राज्य सभा से होगा। बाकि सारे के सारे सरकारी अफसरों को रखा गया है। मेरा सुझाव है कि इसमें 4 लोकसभा और दो राज्यसभा से, इस प्रकार 6 संसद सदस्य रखे जाने चाहिएं।

इसी धारा में राज्यों का उल्लेख किया गया है। बताया गया है कि आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश से 11 सदस्य होंगे। आपने कुछ राज्यों से तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के बारे में कहा था। बिहार राज्य से 1 लाख 44 हजार टन तिलहन उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया। पश्चिम बंगाल के लिए 1 लाख 56 हजार टन, आसाम से 86 हजार टन, कश्मीर से 40 हजार टन, केरल से 24 हजार टन उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन इन स्थानों से कोई भी सदस्य नहीं रखा गया है। मेरा सुझाव है कि सभी राज्यों से एक-एक सदस्य

[श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री]

रखा जाना चाहिए। इसी धारा में तीन सदस्य तिलहन उत्पादकों में से रखने की बात कही गई है। ये सदस्य केन्द्रीय सरकार किसानों में से रखेगी। मैं समझता हूं कि इससे कोई लाभ नहीं है। यदि आप इस विधेयक को लाए हैं और बोर्ड बनाना चाहते हैं तो दिल खोल कर और साफ ढंग से आपको इसको लाना चाहिये था। बोर्ड के गठन की प्रक्रिया देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस विधेयक में पक्षपातपूर्ण बरताव होगा। इसमें कुछ लोगों को बोर्ड पर हावी कर दिया गया है। यह कायदे से तिलहन के उत्पादन को बढ़ाता सही है। यह मेरा आरोप नहीं है। मेरा निवेदन है कि इस पर आप ध्यान दें।

प्रस्तावित बोर्ड में किसानों को रखने की बात तो कही गई है लेकिन मेरा निवेदन है कि प्रत्येक राज्य से एक-एक किसान को लिया जाना चाहिये। जितने राज्य हैं उनमें से एक-एक किसान लेना चाहिये।

धारा 8 में बोर्ड की प्रबन्ध समिति तथा अन्य समितियों का जिक्र किया गया है। तिलहन उत्पादन की वृद्धि की अपेक्षा की गई है। परन्तु इसमें सरकारी कर्मचारियों को भर दिया गया है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय के लोगों को भर दिया गया है। आपका मकसद सही है, मंशा अच्छी है, इस में सन्देह नहीं। लेकिन यहां आते-आते, बिल प्रस्तुत करते-करते आपकी मंशा बिल्कुल बिगड़ गयी है। मैं चाहता हूं इसमें भी किसानों के प्रतिनिधि रखे जाएं। अगर आप प्रबन्ध समिति तथा अन्य समितियों में किसानों के प्रतिनिधि नहीं रखेंगे तो आपको सफलता नहीं मिल सकेगी, जो आपका उद्देश्य है वह पूरा नहीं हो सकेगा।

धारा नौ में केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण का जिक्र किया गया है। इसके चेयरमैन प्रधान मंत्री हों मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। व्यास जी को हो सकती है। लेकिन जब आप स्वयं अध्यक्ष है, तमाम सरकारी कर्मचारियों की इसमें भरमार है तो फिर इस बोर्ड की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है। विशाल फौज आप उनकी खड़ी कर रहे है। अध्यक्ष आप रहें, ठीक है। लेकिन सरकारी कर्मचारियों को कम करना चाहिये और किसानों के प्रतिनिधियों को लेना चाहिये। केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अन्तर्गत काम करने की बात में कोई तुक नहीं। आप स्वयं उसके चेयरमैन हैं। फिर इसको सरकार के अधीन रखने की क्या जरूरत है। इसका मतलब है कि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। बोर्ड को स्वतन्त्र रूप से कार्य करने देना चाहिये। ऐसा प्राव-धान आप करें कि बोर्ड खुले दिमाग से स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करें।

आगे तिलहन उद्योग के विकास और वृद्धि की बात कही गई है। बोर्ड कौन से ठोस कार्य इस दिशा में करेगा, इसका भी इसके अन्दर जिक्र होना चाहिये।

उप धारा दो के क, ख और घ जो सेक-शंज हैं ये बिल्कुल गोलमाल हैं। बार-बार मैंने नको पढ़ा है। मैं हिन्दी भी अच्छी समझ सकता हूं और अच्छी आती भी है मुझे। लेकिन मैं इसको नहीं समझ पाया कि आपका उद्देश्य क्या है और उनको आप कैसे पूरा करेंगे। बोर्ड के लिए कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्तों का आपको जिक्र करना चाहिये कि कैसे तिलहन के उत्पादन को बढ़ाया जाएगा।

धारा 2 के भाग 6 में पहला प्वाइंट आपने भंडारण को दर्शित किया है। यह

बहुत गंभीर बात है। तिलहन के भंडारण की एक अलग से समस्या है। इसका भी आपको डिटेल में वर्णन करना चाहिये था कि आप भंडारण कैसे करेंगे, इसकी क्या स्थिति होगी, क्या रूप रेखा होगी। एक एफ० सी० आई० है आपकी, जहां पर चूहे और घुन जो माल रखा जाता है उसमें लगता रहता है। तथा उसी तरह से सरकारी कर्मचारी इसको भी घुन के रूप में इस्तेमाल तो नहीं करना शुरु कर देंगे? यह सब आपको देखना चाहिये।

सैस आप इकट्ठा करेंगे। उस सैस से भत्ते देने और बोर्ड के खर्च चलाने की बात कही गई है। सभी ने इसका विरोध किया है। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इधर भी आप ध्यान दें। यह सैस की राशि अगर आप बोर्ड पर खर्च करते हैं तो परेशानी का विषय होगा। इस धन राशि को आपको तिलहन का उत्पादन करने वाले किसानों और मजदूरों के लिये इस्तेमाल करना चाहिये।

अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं जिनको बिल में लाना चाहिये। जैसे भूमि सुधार की बात है, आज देश में चिन्ता है क्योंकि कानून तो है लेकिन किसी भी कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। इस बारे में सख्ती करनी चाहिये। राज्यों को वित्तीय सहायता आपको देनी चाहिये। छठी पंचवर्षीय योजना में जो 65 करोड़ की राशि रखी गई है वह कम है। यदि हमें तिलहन का उत्पादन करना है तो इसके लिये आपको राज्यों की वित्तीय सहायता देनी होगी। बाजार पर नियंत्रण नहीं रहता है। आज तेल मिल बना कर सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। बोर्ड का गठन आप कर रहे हैं यह बोर्ड नहीं नौकरशाही का शिकार न हो जाय यह भी आपको देखना है।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं उन पर मंत्री जी विचार करेंगे क्योंकि खाद्य तेल जीवन का महत्वपूर्ण अंश है और यदि इसकी कमी दूर होती है तो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो विधेयक रखा है उसका मैं हार्दिक समर्थन करती हूं। अभी जो माननीय सदस्य कह रहे थे कि बोर्ड जो बनने वाला है उसमें इनको गोलमाल दीखता है, उससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं कुछ सुझाव देना चाहती हूं।

यह बात सही है कि हमारा देश कृषि प्रधान है और देश की अर्थ-व्यवस्था कृषि पर ही आधारित है। ऐसी हालत में तिलहन के उत्पादन पर विशेष रूप से ध्यान देना है, और इसीलिए मंत्री महोदय यह बिल यहां लाये हैं। बोर्ड और निगम की जो भी स्थापना होती है उसका उद्देश्य अच्छा रहता है। इस बिल का भी यही उद्देश्य है ताकि किसानों को लाभ पहुंचे और तिलहन का उत्पादन बढ़े। लेकिन आम तौर से देखा जाता है कि निगम जब बन जाता है तो उस पर अंकुश नहीं रहता है और इस व्यवस्था का खर्च इतना ज्यादा हो जाता है कि लोगों को लाभ नहीं होता है। जो आपने पेज 9 पर लिखा है:

Grants and loans by the Central Government and Constitution of oilseeds and vegetable oils Development Fund

[श्रीमती कृष्णा साही]

वह तो ठीक है, लेकिन इसके ऊपर अंकुश रहना चाहिये, सेन्ट्रल गवर्नमेंट की पूरी अथौरिटी रहनी चाहिये, जिम्मेदारी रहनी चाहिये ताकि ऐसा न हो कि 1977 में जब जनता सरकार थी तो बिहार सरकार में रेप सीड आयल का इतना बड़ा घोटाला हुआ। सारी दुनिया में इसकी चर्चा हुई और जब हमने इस सदन में मंत्री महोदय से इस बात की जांच के लिये कहा तो उन्होंने कहा कि यह स्टेट सबजैक्ट है इसलिये हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिये आगे जाकर कहीं ऐसा न हो कि हर चीज पर पैसा भारत सरकार का हो और हर चीज के बारे में हमें यह सुनना पड़े कि इस बोर्ड और निगम में इस तरह की गड़बड़ हो रही है। मैं मंत्री महोदय से कहूंगी कि मामला हमारे अधिकार में नहीं है, मेरा निवेदन है कि बोर्ड के गठन में जन-प्रतिनिधि, किसान और संसद् के सदस्य भी रहें। इसे बहुत बड़ा काफिला नहीं बना देना चाहिये जिसमें रोज कोरम के लिये हंगामा हो और कोरम के अभाव में महीनों-महीनों बैठक न हो और इसमें होने वाले व्यय व्यर्थ हो जायें। इसलिये जन-प्रतिनिधि, किसान, व्यापारी और संसद्-सदस्य इसमें अवश्य रहें, लेकिन बोर्ड का गठन छोटा होना चाहिये।

उत्पादन की तरफ भी ध्यान अवश्य दिया जाये। अभी की परिस्थितियों में सिंचाई की व्यवस्था काफी कम है। 8, 9 परसेंट से ज्यादा सिंचाई है नहीं। उत्पादन के साथ-साथ इन्फ्रा स्ट्रक्चर और मार्केटिंग पर भी ध्यान देना आवश्यक है। अगर उत्पादन की व्यवस्था हो भी और मार्केटिंग की व्यवस्था न हो तो भी हमारी कठिनाइयां कम नहीं होंगी।

स्टोरेज और भंडारण की व्यवस्था भी बहुत आवश्यक है। हमारे माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा कि 1940 तक तो हम दूसरे देशों में तेल भेजते थे। यह सही है, उस वक्त हमारी आवश्यकता बहुत कम थी। उस समय तक हमारे लोग आधुनिक टैक्नोलाजी के तरीके नहीं जानते थे और जरूरत भी कम थी, इसलिये काम चलता था लेकिन अब आवश्यकता ज्यादा बढ़ गई है। जिस हद तक हम बाहर से ये चीजें मंगाते हैं, उससे हमारी विदेशी मुद्रा पर काफी प्रभाव पड़ता है, इस ओर भी मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं।

कई किस्म का तेल होता है। तोरिया, सरसों और तिल। इसका उत्पादन हमारे यहां बहुत होता है और विश्व में हिन्दुस्तान का स्थान इस मामले में दूसरा है। जगलों में भी तिलहन का उत्पादन हो सकता है जैसे साल है, छोटा नागपुर के जंगलों में सागवान है। यह कर्मशियल क्राप है। जब जंगलों में इनके पौधे बढ़ेंगे, खेतों में साल सरसों और नीम के तेल के पौधे होंगे तो इन कर्मशियल क्राप होने से हमारी अर्थ-व्यवस्था में सुदृढ़ता आयेगी। कर्मशियल क्राप में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो उससे उद्योग-धंधे भी बढ़ेंगे और रोजगार का स्कोप भी इससे बढ़ेगा। इसलिये मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन करना चाहती हूं कि कर्मशियल क्राप के उत्पादन में लास्ट ईअर बढ़ोत्तरी हुई है, हमारे यहां टेक्नोलाजी पर्याप्त है जिसमें सरकार तिलहन तिल, मूंगफली आदि के उत्पादन को आगे और बढ़ाये।

सिंचाई की व्यवस्था पर ध्यान दिया ही जाये लेकिन अक्सर यह होता है कि जब फसल उगती है तो कीड़ा लग जाता है और इससे बचाव के लिये हमारे यहां इतनी

व्यवस्था नहीं है। आलू के डैवलपमैंट के लिये बोर्ड बना है, पल्सेज के डैवलपमेंट के लिये बोर्ड बना है लेकिन जब किसानों पर आर्थिक प्रहार होता है कीड़ा लग जाता है तो उसका कोई बचाव नहीं होता है।

सारांश में मैं यह कहना चाहती हूं कि मैं इस बोर्ड के गठन का स्वागत करती हूं, लेकिन इस बोर्ड के जो नियम है, उन्हें और कड़ा बनाया जाए। अगर केन्द्र सेस लगाता है और बोर्ड पर पैसा खर्च करता है, तो बोर्ड की अर्थ-व्यवस्था पर उसका अंकुश होना चाहिए, क्योंकि आम तौर पर देखा गया है कि कैसे बोर्डों को नफा नहीं होता है, वे घाटे में चलते है, लेकिन बोर्ड के पदाधिकारियों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।

मैं इन विधेयकों के उद्देश्य से सहमत हूं और इसके लिये मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देती हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Some of the hon. Members may not be available tomorrow. Therefore, they suggest that they may be called today itself. I am prepared to sit, provided the House permits it. All the members will speak today. All the discussion except the reply of the Minister will be over today. All the members who may not be available tomorrow can conclude their speeches today. The reply will be tomorrow.

SHRI INDRAJIT GUPTA: Thank you. Sir, because I would not be here tomorrow.

RAO BIRENDRA SINGH: It is for you that he has decided it.

SHRI INDRAJIT GUPTA: I have very little to say. So, I do not intend to take much time.

AN HON. MEMBER: Whatever you have to say will be very useful.

SHRI INDRAJIT GUPTA: Sir, many members on both sides of the House have spoken very critically about the proposed Board, its composition and functions. The functions are not sufficiently clear as to how they are going to be discharged. Then there is the question of finance, the expenses of this Board and the proposed cess which has to be collected and so on.

I do not want to make time be repeating many of these things. But I must say that the composition of the Board is particularly very very disappointing. Out of the 30 or more than 30 members, only three are supposed to represent the interests of the growers of oilseeds, while there is nobody specifically as representing consumers, unless it is supposed to be the three Members of Parliament, who may be consumers of vegetable oil; I do not know.

RAO BIRENDRA SINGH: Every member is a consumer.

SHRI INDRAJIT GUPTA: What I would like to say is that in the Statement of Objects and Reasons the Minister has taken upon himself a very comprehensive responsibility for this Board. The Statement of Objects and Reaons says:

> "..... it is very necessary to have an integrated approach towards oilseeds production, processing, procurement, marketing, storage, prices and quality control. The Bill seeks to provide for the integrated development of the oilseeds industry ..and the vegetable oils industry."

Therefore, this Board is being set up.

The main point towards which I want to draw your attention is this. After all, there are two categories of people, whose interests should be given the top-most priority in this matter. One is, of course, the grower of oilseeds, who has to be helped in all possible ways and given

[Shri Indrajit Gupta]

incentives so that production can be increased, because the question of import subsitution is involved here, as Rs. 600 to Rs. 700 crores are being spent annually to import various kinds of edible oils, which is a big drain on our resources. Therefore, the grower of oilseeds has to be provided with various types of assistance, incentives and so on. They are not spelt out here. The Board, in its wisdom, consisting mainly of these officials, is apparently going to think of some new measures, which it has not thought of all these years.

The second category of people is the consumers because, after all, the vegetable oils, include vanaspati, which is one of the main articles of daily mass consumption. That means the health and the living standards of most of the people in our country depends on the quality of vegetable oils and vanaspati.

I do not find anything in this Bill which gives me any confidence that there is going to be any improvement in either the quality of these foodstuffs which are very basic and important articles in people's diet or in regulating the prices. Prices — I am sure you know. I do not know what you use in your house as a cooking medium, but everybody knows that generally speaking, vegetable oils and vanaspati are very very highly priced in this country. The Postman groundnut oil sells at Rs. 65 a kilo. And it is, I think, only the better off sections of people who can afford it. In respect of many other types of edible oils, nothing sells at less than Rs. 18 or Rs. 17 or Rs. 16 a kilo.

Somebody referred here to the question of adulteration. It is not only high prices, but you pay the high price and get the adulterated commodity after that. I do not know whether you have noticed in yesterday's press, there is a very disturbing item of news from Chandigarh, which says;

> "Bhatinda people's complaints about vanaspati adulteration with beef tallow have been found correct by the public analyst."

"Public analyst" means Government authority who takes these samples from various markets and all that and test them in the Government laboratory.

Then the news says:

> "As a sequel to this, two senior officials of a vanaspati manufacturing factory of Bhatinda have been taken into police custody."
> "Last week, a large quantity of beef tallow had been seized in Chandigarh, Patiala, Bhatinda and a few other places."

I do not know what the reaction of devout Hindus, Members of this House as well as people outside, will be to this kind of news. This is sold as 'Sudh' vanaspati, I think, manufactured probably by a known company. 'Sudh' means pure. Impurities can be of different types, but I think even my young friends will have to think twice before purchasing and consuming this commodity. Of course, the Minister will say that the Board will have nothing to do with quality control, though in various places here and there quality control is mentioned.

RAO BIRENDRA SINGH: From oil seeds only.

SHRI INDRAJIT GUPTA: This is the way you look after people's health, you see.

Another thing which I wish to point out, which is stated here and which we should remember is that vegetable oils which are derived from oilseeds form an essential part of human diet. We know that, but they also serve as a valuable raw material for the manufacture of soap. That has to be remembered. Why I am saying this is, I wish to bring to the notice of this House a sort of a very important development which has taken place recently — I do not know whether the Minister is aware of it, in any case he will say it has nothing to do with his Ministry. But we are treating this Government as one single entity. Though there are different entities, they should

not plead ignorance to what each other is doing. The right hand of the Government should know what its left hand is doing. Otherwise what sort of Government would it be? 40.5 per cent of the total production of soap which is made out of these oils in the organised industrial sector in our country is owned and controlled by Hindustan Lever and 40 per cent of all vanaspati which is sold in containers, in packages, in this country is owned and controlled by Hindustan Lever and sold under the brand name of Dalda.

Dalda is a brand name of dalda vanaspati. It is manufactured by Hindustan Lever. Its production is 40% of the total production in the country and 40.5% of the total soap produced in the country in the organised sector is also under Hindustan Lever. They are the kings of soap. The are known as the kings of soap. They means, here is one company which is a branch of very well known multi-national foreign company Uni Lever which must be consuming very big amount of oils for both soap and for making vanaspati. This company recently has entered into some sort of an agreement or deal. I do not want to go into its details which are not strictly relevant here. I hope these will be discussed on some other occasion somewhere else but the essential part which is relevant is that under this agreement Hindustan Lever is selling or transferring the production units of Dalda Vanaspati to another company which we all know, whose name is Lipton. Name of Lipton is always associated with tea. — Lipton Tea, Brook Bond Tea. This Lipton is also a subsidiary of that Uni Lever, multi-national company. Both of them belong to the same family. Under this agreement Hindustan Leaver has decided to transfer two of its factories which make Dalda Vanaspati, one in Ghaziabad and one in Trichi, two Liptons and two other factories one in Calcutta and one in Bombay which make both Vanaspati and soap are not being transferred to Liptons but the Vanaspati production part of it is going to be given on contract. They will produce it on contract for Liptons. What I wish to point out is that the entire vanaspati production of Hindustan Lever is henceforth going to be under Lipton which was up till now only dealing with tea and which has been making losses consistently. It made a loss of Rs. 1 crore in 1979-80 and a loss of Rs. 2.5 crores in 1980-81. I had been reading in one of the Business journals about this company. It seems the main reason for loss has been that it has very poor marketing facilities. Its distribution network and marketing network was very poor, inadequate. I want to know from the Minister because he says, we will be having an integrated policy which will cover distribution, marketing and everything.

PROF. N.G. RANGA : Of oilseeds.

SHRI INDRAJIT GUPTA : No, no, not oilseeds. Vegetable oil and products which means including vanaspati. It is no use shaking heads. This is an essential commodity. Now I want to know one thing. Of course, you probably have nothing to do-approving or disapproving this deal. It is dealt with by other ministries. Ministry of Industry is involved, Ministry of Finance is involved and all that. Civil Supplies Ministry which deals with the distribution of other commodities, I think, is very closely integrated with the Food and Agriculture Ministry. It has to be.

RAO BIRENDRA SINGH : Agriculture is separate.

SHRI INDRAJIT GUPTA : I would like to know that now for their objectives this Company has passed on its production of Dalda vanaspati to Liptons and Liptons having poor distribution and marketing network is making losses. Then what steps will the Government take to ensure that proper distribution and marketing of such an essential commodity for the interest of the consumers will be done, because Government does not seems to have any intervention in this matter at all ? This is one question which I want to raise because this Company has been saying that they have done some research work as a result of which they are using only the minor oils in the production of soap.

Here in the Statement of Objects and Reasons it says :

> "The processing industry for the production of vegetable oils has to be modernised. Technological innovations designed to increase oil extractions from different sources of vegetable oils have to be given due encouragement."

That means some money from the cess will have to be collected, may also be given to these companies. Here is a company which has been given approval by the Government of India to retain 51% of foreign equity capital, on the ground that it has carried out some research in its laboratory as a result of which, it is using only minor oils in the manufacture of soap. And those oils, according to the company, are castor oil, oil from sal tree and rice bran. On this ground, they have claimed and secured from the Government permission to retain 51% of foreign equity holding in this company. They claim that 90% of the raw material they use in the manufacture of their soap comes from this light oil—minor oil. I would like to know whether the Government has got any kind of monitoring agency or any kind of machinery to check up the claim of the company that they are really using 90% of these minor oils for the manufacture of soap instead of using the traditional oils.

In any case, there are so many loopholes and so many problems connected with this whole thing that as far as this Board is concerned, I really do not see how they are going to make any positive or useful intervention in the entire process of wastage which comes from the production of oilseeds right up to the finished products of vegetable oils or vanaspati. You will kindly tell us what is the actual function or purpose of the Board. One thing that I can see is that the cess which is going to be collected will obviously lead to the increase in the price of edible oils. Because, these people will not pay cess out of their own pocket. They will pass it on to the consumer and the price of edible oils will be put up by an extent of Rs. 5 per quintal or whatever which is the amount of the cess. On the balance, what is the benefit the people are going to get from this ? First of all, the grower of the oilseeds is not being given a proper representation on the Board at all. That should be increased definitely. The consumers' interests are not being protected at all. They are neither represented on the Board nor is there any guarantee that any kind of price control or quality control can be enforced by this Board. It cannot be, in my opinion. There is some sort of voluntary price control, I am told, by the vanaspati manufacturers. I think, Mr. V.C. Shukla, when he was the Minister of Civil Supplies, had quite an unpleasant experience with them in this regard, because much of these imported oils for which we are paying so much valuable foreign exchange are given to them and I think the Minister knows it. The imported oil is made available by the Government to the vanaspati manufacturers and the condition is that they will keep the prices within certain reasonable limit. But the experience during the last two or three years has been just the opposite. The Government goes on supplying them and ensures the supply of imported oil and yet these people are selling their product at exorbitant rate. There is no type of effective price control at all.

All I wish to say is I do not wish to take more time, I think. It is all very well to say that we are setting up the Board after so many years and everybody should support it and all that, But if is only going to be a kind of bureacratic board as the constitution at present indicates and the cess is to be collected which will be passed on to the consumer and the proceeds will be used to finance the expense of the Board and if the Board has no effective powers except recommendatory powers—most of these powers are defined here to make recommendations—is no use constituting it. Recommendations to whom, I do not know and what is the guarantee that any such recommendations will be capable of implementation ?

And particularly, Sir, I will conclude by saying that simply setting up a Board

is not going to make much difference either to the growers or to the consumers. Some more dynamic and some kind of positive measure was expected from the Government because this is an item where really some people are suffering very much nowadays. People's health is suffering. The prices have gone up exorbitantly. Now in the name of *Shudh* vanaspati, they are selling stock which has got beef tallow in it. I think these people are criminals. People who were detected like this should be treated as criminals and they should be given deterrent punishment. But I am afraid things are going on in the same merry ways.

Therefore, I cannot really support this Bill but I would like the Minister to think over how to make it more effective and how to really see that it helps the interests of the people of this country.

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल पर सदन में चर्चा हो रही है और तिल, सोयाबीन, सरसों भी बोई जा रही है। अभी भी भारत में तेलों का आयात किया जाता है । 1978-79 में 306.63 करोड़ रुपए का, 1979-80 में 610.49, 1980-81 में 527.81 करोड़, 1981-82 में 498.36 करोड़ रुपए का आयात किया गया और 1982-83 के जो प्रावीजनल फिगर्स दिए गए हैं उनके अनुसार 440.79 करोड़ रुपए का आयात किया गया। हिन्दुस्तान में मांग 38 लाख टन की है और पैदा होता है 26 या 27 लाख टन। जब आयात अधिक होने लगा तो मंत्री जी ने सोचा कि एक लेजिसलेटिव असेंबली और बना दो। एक छोटी लेजिसलेटिव असेंबली के अंदर जितने मेंबर होते हैं उतने मेंबर इस बोर्ड में हैं। 36 मेंबर इस बोर्ड में हैं।

श्री राव बीरेन्द्र सिंह : कई लोगों ने कहा है कि और सदस्य होने चाहिएं।

श्री मूल चन्द डागा : 38 मेंबर एक साथ बैठकर कोई एक निर्णय ले पाएंगे यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इतना बड़ा आकार देना कहां तक उचित है ?

इस के बोर्ड अध्यक्ष कृषि मंत्री हैं। वे स्वयं ही डायरेक्शन देंगे और स्वयं ही मानेंगे। जिसके चेयरमैन आप होंगे उसके डायरेक्शन मानने वाले भी आप ही हैं।

श्री राव बीरेन्द्र सिंह : और भी कई मंत्रालय आते हैं।

श्री मूल चन्द डागा : बड़ा सोच समझ कर इसको बनाया गया है। सेक्रेटरी इसका मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। वही अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा ।

मैं समझता था कि श्री इन्द्रजीत गुप्ता इस एक्ट के बारे में कुछ बातें कहेंगे, लेकिन उन्होंने जो बातें कहीं, वे अपना अलग स्थान रखती हैं। इस बिल का किस प्रकार इम्प्लीमेंटेशन होगा ।

MR. DEPUTY SPEAKER ; You may continue tomorrow.

18.00 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, July 29, 1983/ Sravana 7, 1905 (Saka).